

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2023/1090

दिनांक - 31/03/23

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 गिरधारीराम पुत्र चैनाराम जाति जाट निवासी मूले का तला, सरली तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

1 कुम्भाराम 2 जोगाराम पिसरान मानाराम 3 गेरो पत्नी मानाराम 4 भगवानाराम पुत्र राउराम 5 आईदानराम 6 दलाराम 7 नेनाराम पिसरान खेताराम 8 जेठाराम पुत्र शेराराम 9 पदमाराम पुत्र वीराराम जाति जाट निवासी मूले का तला, सरली 10 तेजाराम पुत्र भूराराम 11 भगवानाराम पुत्र, केहनाराम जाति जाट निवासी सांजटा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :- 275/2022

दिनांक- 24/03/23

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा मूले का तला पटवार क्षेत्र सरली तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 399 रकबा 0.0486 हैक्टयर व खसरा संख्या 617/400 रकबा 13.2494 हैक्टयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

दिनांक- 31/03/23

क्रमांक :- रीडर/2023/1090-1094

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सरली तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. गिरधारीराम पुत्र चैनाराम जाति जाट निवासी मूले का तला, सरली तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी कुम्भाराम पुत्र मानाराम वगैरह जाति जाट निवासी मूले का तला, सरली तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर